न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/पुर्नवास/01/2004

1. आसीन मौहम्मद पुत्र जोधा खां जाति मेव निवासी रोश्याका तहसील कामां जिला भरतपुर।
2. बूटाराम पुत्र बरक्तराम जाति राजपूत साकिन रोश्याका तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र दियालाल जाति राजपूत निवासी नन्देरावास तहसील कामां जिला भरतपुर।
2. अयूब खॉ
3. अताउल्ला खॉ — पिसरान फीसा जाति मेव निवासी लेवडा तहसील कामां जिला भरतपुर
4. सेफुल्ला
5. राजस्थान सरकार कम मैनेजिंग ऑफीसर कामां जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी0

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर कामां दिनांक 15.07.1989 बाबत आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 62/7 रकबा 081 वाके ग्राम रोश्याका तहसील कामां जिला भरतपुर।

उपस्थितः—

1— श्री दीपक शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2— श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

प्रार्थी ने अपीलान्ट द्वारा यह अपील पुर्नवास अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरूद्व आदेश तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर कामां दिनांक 15.07.1989 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 62/7 रकबा 0.81 वाके ग्राम रोश्याका तहसील कामां कमांक पुर्नवास 81/305 के पेश किया गया है। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 62 वाके ग्राम रोश्याका तहसील

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

कामां में स्थित है जो कि कस्टोडियन की आराजी थी। इस आराजी पर विधि एवं नियम विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्यामलाल को एलोटमेन्ट गलत व बिना अधिकार क्षेत्र के रेसपो0 तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर कामां द्वारा दिनांक 15.07.1989 को कर दिया गया है। जबकि यह तीनो व्यक्ति ग्राम रोश्याका या ग्रम नन्देरावारा अथवा तहसील कामां के निवासी नही है। यह आराजी हमेशा से वंजड कदीम सार्वजनिक कब्रिस्तान मरघट के काम आती चली आ रही है। इस एलोटमेन्ट से अपीलान्ट प्रभावित हुये है। दिनांक 15.07.1989 को मैनेजिंग ऑफीसर कामां ने नियम एवं कानून विरूद्व बिना अधिकार क्षेत्र के आवंटन किया गया जो कि काबिल खारिजी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 62 सार्वजनिक बंजड कदीम व मरघट व कुछ आराजी चारागाह के उपयोग की रही है। गांव वाले इस आराजी को कब्रिस्तान मरघट एवं चारागाह के सार्वजनिक उपयोग में लेते चले आ रहे है व इस पर कभी काश्त नही हुई है। रेस्पो0 01 तहसील कामां का न होकर हरियाणा के ग्राम सिंगपुरा सिद्वाला तहसील व जिला पानीपत का रहने वालो है। इसे तहसील कामां में एलोटेमेन्ट कराने का अधिकार प्राप्त नही है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर कामां व पटवारी तथा कानूनगो गिरदावर से मिलकर फर्जी तरीके से यह ऐलोटमेन्ट कराया है जबकि इस व्यक्ति आज तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही दखल दिया गया है। रेस्पो0 01 ने नाजायज फायदा उठाकर रेसपो0 स0 02 लगायत 04 को कतई गलत तरीके से वयनामा करा दिया है जबकि इनका आज तक कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। इस प्रकार से आवंटन करने का कोई अधिकार तहसील कम मैनेजिंग ऑफीसर को नही है। उक्त एलोटमेन्ट किसी भी धारा अथवा प्रावधान में नही आता है। विवादित आराजी अपीलांटान ग्राम रोश्याका तहसील कामां जहां पर आराजी स्थित है बाहर के निवासी है और उक्त आराजी ग्रामवासियों के साथ उपयोग करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 28.10.2001 को पटवारी हल्का से मिली उसके बाद उक्त आदेश की नकल मिली है व अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है। जानकारी होने के दिन से अपील अपीलार्थी अन्दर अवधि पेश है व धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।अपीलान्ट द्वारा अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील अलीलान्ट स्वीकार की जाकर एलोटमेन्ट दिनांक 15.07.1989 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस उभय पक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी अभिभाषक कथनों पर गौर किया गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 62/7 रकबा 081 वाके ग्राम रोश्याका तहसील कामां में स्थित है जो कि कस्टोडियन की आराजी थी। इस आराजी पर

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

एव निगम विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्यामलाल को एलोटमेन्ट गलत व बिना अधिकार क्षेत्र के रेस्पो0 तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर कामां द्वारा दिनांक 15.07.1989 को कर दिया गया है। जबकि यह तीनो व्यक्ति ग्राम रोश्याकाया ग्राम नन्देरावास अथवा तहसील कामां के निवासी नही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 62 सार्वजनिक बंजड कदीम व मरघट व कुछ आराजी चारागाह के उपयोग की रही है। गांव वासी इस आराजी को कब्रिस्तान मरघट एवं चारागाह के सार्वजनिक उपयोग में लेते चले आ रहे है व इस पर कभी काश्त नही हुई है। रेस्पो0 01 तहसील कामां का न होकर हरियाणा के ग्राम सिंगपुरा सिद्दाला तहसील व जिला पानीपत का रहने वाला है। आवंटी को तहसील कामां में एलोटेमेन्ट कराने का अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पो0 01 ने नाजायज फायदा उठाकर रेस्पो0 स0 02 लगायत 04 को कतई गलत तरीके से वयनामा करा दिया है जबकि इनका आज तक कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। इस प्रकार से आवंटन करने का कोई अधिकार तहसील कम मैनेजिंग ऑफीसर को नही है। उक्त एलोटमेन्ट किसी भी धारा अथवा प्रावधान में नही आता है व अपील में देरी के लिए अपीलान्ट द्वारा धारा 5 म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी को माफ किये जाने का निवेदन किया है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील अलीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर कामां द्वारा किये गये एलोटमेन्ट दिनांक 15.07.1989 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस व लिखित बहस में कथन किया है कि जो आराजी की किस्म बंजड कदीम दर्ज है उसके आवंटन बाबत किसी भी कानून में कोई रोक नही है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत जमीन के आवंटन पर कोई रोक नही है। विवादित आराजी वक्त आवंटन के कब्रिस्तान के रूप में काम आ रही थी जो कि रिकार्ड के विपरीत है। वक्त आंटन उक्त आराजी किस्म बंजड कदीम थी ना की गैर मुमकिन मरघट या कब्रिस्तान और ना ही उक्त आराजी कभी कब्रिस्तान के रूप में दर्ज रही है व वर्तमान मे भी इस आराजी पर काश्त हो रही है व कुछ हिस्से पर आबादी बसी हुई है। अपीलान्ट द्वारा धारा 5 प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है,अपीलान्ट को दिनांक 28.01.2004 से पूर्व ही आवंटन आदेश की जानकारी थी, क्योंकि अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश की पालना मे भरे गये नामान्तकरण के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 27.02.2003 को खारिज हुई । अपीलान्ट द्वारा गौका रिपोर्ट मे दर्ज खातेदारों को प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है जिस कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो0 ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अभिभाषक कथनों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है। हालांकि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है किन्तु अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपील के समर्थन में नकल आदेश आवंटन दिनांक 15.07.1989 पेश की है। विवादित खसरा नम्बर 62/7 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम रोश्याका तहसील कामां के संबंध में मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई, मुताबिक रिपोर्ट गत खसरा नम्बर 62/7 रकबा 0.81 है0 का हाल खसरा नम्बर 943/62/0.81 बना है जो कि मुकेश देवी पत्नी सुभाषचन्द हि0 2/3 व बशरी पत्नी आमीन मेव सा0 देह खातेदार हि01/3 पर कब्जे काश्त है। मौके पर कोई पक्का निर्माण नही है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068–71, 2072–75 तथा 2076–77 में आराजी खसरा नम्बर में लगातार कृषि कार्य हो रहा है। अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उसके अपील के तथ्यों की पुष्टि होती हो। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कम गैनेजिंग ऑफीसर कामां द्वारा नियमानुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार त्रुटि नही होने के कारण किसी भी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर